



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

सोमवार, 24 मार्च, 2025 / 03 चैत्र, 1946

हिमाचल प्रदेश सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

शिमला-171 002, 22 मार्च, 2025.

संख्या: टी.पी.टी.एफ(2)-2/2021-IV-लूज.—तहसील सदर, जिला बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश के 10 (दस) गांवों की कुल 538-13-05 बीघा (40.54 हेक्टेयर) भूमि नामतः भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी, न्यू ब्रॉड गेज

273-राजपत्र / 2025-24-03-2025

(14439)

रेलवे लाइन (52.0 किलोमीटर से 63.0 किलोमीटर) के सन्निर्माण हेतु लोक प्रयोजनार्थ अर्जन करने के लिए "भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 के उपबन्धों के अधीन प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या: टी.पी.टी.-एफ(2)-2/2021-III, तारीख 29 मार्च, 2023 को जारी की गई थी;

पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 11 के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से बारह मास की अवधि के भीतर, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 19 के उपबन्धों के अनुसार घोषणा की जानी अपेक्षित है;

धारा 19 की उप-धारा (7) के उपबन्धों के अधीन घोषणा जारी करने की अवधि 28-03-2024 से 27-03-2025 तक बारह महीने की अवधि के लिए एक बार बढ़ाई गई है। तथापि, कतिपय अपरिहार्य प्रशासनिक परिस्थितियों के कारण पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन योजना को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका।

अतः, उपरोक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 19 के उपबन्धों के अनुसार उपरोक्त घोषणा तारीख 27-03-2025 तक बारह मास की विहित अवधि के भीतर नहीं की जा सकती और पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (7) के द्वितीय परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा की अधिसूचना जारी करने की अवधि को पुनः तारीख 28-03-2025 से बारह मास की अतिरिक्त अवधि के लिए एतद्द्वारा बढ़ाया जाता है।

हस्ताक्षरित /—
(आर. डी. नजीम),
अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन)।

[Authoritative English text of this department Notification No. TPT-F(2)-2/2021-IV-Loose, dated 22-03-2025, 2025 as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 22nd March, 2025

No. TPT-F(2)-2/2021-IV-Loose.—Whereas, Preliminary Notification No. TPT-F(2)-2/2021-III, dated 29th March, 2023 had been issued under the provisions of Section 11 of "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013" for acquisition of 538-13-05 Bigha (40.54 hectares) land in Ten Villages of Tehsil Sadar of District Bilaspur, Himachal Pradesh for public purpose, namely construction of Bhanupalli-Bilaspur-Berri, New Broad Gauge Railway line (from Km. 52.0 to Km. 63.0).

And whereas, as per the provisions of Section 19 of the Act *ibid*, the declaration is required to be made within twelve months from the date of publication of the Notification under section 11 of the Act *ibid*.

And whereas, the period for issuing declaration under the provisions of sub-section (7) of section 19 has been extended once for a period of twelve months from 28-03-2024 to 27-03-2025. However, the Plan for Rehabilitation & Resettlement could not be finalized due to certain unavoidable administrative circumstances.

Now, therefore, in view the above circumstances, the above declaration cannot be made within the prescribed period of twelve months upto 27-03-2025 as per provisions of Section 19 of the Act *ibid* and in exercise of powers conferred by second provisio to sub-section (7) of Section 19 of the Act *ibid*, the period of issuing notification of declaration is hereby again extended for a further period of twelve months *w.e.f.* 28-03-2025.

Sd/-
(R.D. NAZEEM),
Additional Chief Secretary (Transport) .

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171002, the 22nd March, 2025

No. PWD-(B)-F0(5)/9/2024.—In continuation to this Department Notification of even number dated 10-03-2025 the Governor, Himachal Pradesh is pleased to declare the "Mayoh to Nadol *via* Seoh road" in District Mandi, H.P. having length of 24.000 km. as Major District Road No. 131 at Sl. No. 122.

Accordingly, the total length of Major District Roads in the State will be 4969.230 kms.

By order
Sd/-
Secretary (PW).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 10-04-2025

मांगती पुत्री श्री चुहडू, निवासी मुहल्ला/गांव थनोटी, डाकघर जडेरा, तहसील व जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत चम्बी, विकास खण्ड चम्बा।

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-137/2025, दिनांक 06-01-2025 अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-263, दिनांक 17-01-2025, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया मांगती पुत्री चुहडू, निवासी मुहल्ला/गांव थनोटी, डा0 जडेरा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में

उसकी जन्म तिथि 01-07-1958 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत चम्बी के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत चम्बी के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया मांगती पुत्री श्री चुहड़ू, निवासी मुहल्ला/गांव थनोटी, डाकघर जडेरा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01-07-1958 को ग्राम पंचायत चम्बी के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 01-07-1958 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 10-04-2025

शेर बीबी पुत्री श्री शुक्र दीन, निवासी मुहल्ला/गांव बगोडी, डाकघर साहो, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत प्रौथा, विकास खण्ड चम्बा।

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-3385/2025, दिनांक 29-07-2024 अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-14012, दिनांक 27-07-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया शेर बीबी पुत्री शुक्र दीन, निवासी मुहल्ला/गांव बगोडी, डाकघर साहो, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01-11-2007 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत प्रौथा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत प्रौथा के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया शेर बीबी पुत्री श्री शुक्र दीन, निवासी मुहल्ला/गांव बगोडी, डाकघर साहो, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01-11-2007 को ग्राम पंचायत प्रौथा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न

आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 01-11-2007 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 10-04-2025

बबली पुत्री श्री प्रताप चन्द, निवासी मुहल्ला/गांव जुखराडी, डाकघर करियां, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत करियां, विकास खण्ड मैहला।

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-487/2025, दिनांक 28-01-2025 अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-1191, दिनांक 17-01-2025, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया बबली पुत्री श्री प्रताप चन्द, निवासी मुहल्ला/गांव जुखराडी, डाकघर करियां, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01-01-1967 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत करियां के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत करियां के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया बबली पुत्री श्री प्रताप चन्द, निवासी मुहल्ला/गांव जुखराडी, डाकघर करियां, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01-07-1967 को ग्राम पंचायत करियां के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 01-01-1967 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 10-04-2025

पतो पुत्री श्री धारो, निवासी मुहल्ला/गांव चैईल, डाकघर जांघी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कुठेड, विकास खण्ड मैहला।

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-1277/2025, दिनांक 05-03-2025 अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-4343, दिनांक 21-02-2025, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया पतो पुत्री श्री धारो, निवासी मुहल्ला/गांव चैईल, डाकघर जांघी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01-07-1965 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत कुठेड के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कुठेड के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया पतो पुत्री श्री धारो, निवासी मुहल्ला/गांव चैईल, डाकघर जांघी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01-07-1965 को ग्राम पंचायत करियां के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 01-07-1965 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 10-04-2025

मनेशा देवी पुत्री श्री मोती राम, निवासी मुहल्ला/गांव कलेई, डाकघर सराहण, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सराहण, विकास खण्ड चम्बा।

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना10) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-3275/2024, दिनांक 23-07-2024 अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-13466, दिनांक 20-07-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया मनेशा देवी पुत्री श्री मोती राम, निवासी मुहल्ला/गांव कलेई, डाकघर सराहण, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 24-10-1980 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत सराहण के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सराहण के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया मनेशा देवी पुत्री श्री मोती राम, निवासी मुहल्ला/गांव कलेई, डाकघर सराहण, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 24-10-1980 को ग्राम पंचायत सराहण के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 24-10-1980 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नम्बर/तहसील/रीडर/2024

तारीख पेशी : 10-04-2025

लेख राज पुत्र श्री दुवानू, निवासी मुहल्ला/गांव मल्ला, डाकघर जांघी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत गागला, विकास खण्ड चम्बा।

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना10) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-6484/2024, दिनांक 13-12-2024 अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-22661, दिनांक 10-12-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी लेख राज पुत्र श्री दुवानू, निवासी मुहल्ला/गांव मल्ला, डाकघर जांघी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01-07-1966 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत गागला के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न

हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत गागला के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी लेख राज पुत्र श्री दुवानू, निवासी मुहल्ला/गांव मल्ला, डाकघर जांघी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 01-07-1966 को ग्राम पंचायत गागला के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 01-07-1966 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 10-04-2025

सीमा पुत्री श्री ओमी, निवासी मुहल्ला/गांव कुठार, डाकघर साहो पधर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत साहो पधर, विकास खण्ड चम्बा।

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-3609/2024, दिनांक 23-08-2024 अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-14999, दिनांक 16-08-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया सीमा पुत्री श्री ओमी, निवासी मुहल्ला/गांव कुठार, डाकघर साहो पधर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 02-03-1999 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत साहो पधर के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत साहो पधर के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया सीमा पुत्री श्री ओमी, निवासी मुहल्ला/गांव कुठार, डाकघर साहो पधर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 02-03-1999 को ग्राम पंचायत साहो पधर के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 02-03-1999 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 10-04-2025

भावेश पुत्र श्री संजीव कुमार, निवासी मुहल्ला/गांव छमैरी, डाकघर बरौर, तहसील व जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत बरौर, विकास खण्ड चम्बा।

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-3539/2024, दिनांक 22-08-2024 अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024/15468, दिनांक 21-08-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी संजीव कुमार पुत्र श्री रावण, निवासी मुहल्ला/गांव छमैरी, डाकघर बरौर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसके पुत्र की जन्म तिथि 02-01-2014 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत बरौर के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बरौर के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी संजीव कुमार पुत्र श्री रावण, निवासी मुहल्ला/गांव छमैरी, डाकघर बरौर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसके पुत्र की जन्म तिथि 02-01-2014 को ग्राम पंचायत बरौर के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि 02-01-2014 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 10-04-2025

हर्षित नाथ पुत्र सुरेन्द्र कुमार, निवासी मुहल्ला/गांव चमीणू, डाकघर बरौर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत बरौर, विकास खण्ड चम्बा।

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-5251/2024, दिनांक 08-11-2024 अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-19488, दिनांक 15-10-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी अंजू देवी पत्नी सुरेन्द्र कुमार, निवासी मुहल्ला/गांव चमीणू, डाकघर बरौर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसके पुत्र की जन्म तिथि 05-06-2011 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत बरौर के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बरौर के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी अंजू देवी पत्नी सुरेन्द्र कुमार, निवासी मुहल्ला/गांव चमीणू, डाकघर बरौर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसके पुत्र की जन्म तिथि 05-06-2011 को ग्राम पंचायत बरौर के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया के पुत्र की जन्म तिथि 05-06-2011 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 10-04-2025

दम्यती मोहिन्द्रू पुत्री श्री काहन चन्द, निवासी मुहल्ला/गांव मुहल्ला माई का बाग, डाकघर सुलतानपुर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं नगर परिषद् चम्बा।

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-993/2025, दिनांक 18-02-2025 अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-1157, दिनांक 15-10-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया सुरिन्द्रा मोहिन्द्र पत्नी कुलदीप चन्द मोहिन्द्र, निवासी मुहल्ला/गांव मुहल्ला माई का बाग, डाकघर सुलतानपुर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी भाभी की मृत्यु तिथि 20-03-1975 किन्हीं कारणों से नगर परिषद् चम्बा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी भाभी की मृत्यु तिथि को नगर परिषद् चम्बा के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया सुरिन्द्रा मोहिन्द्र पत्नी कुलदीप चन्द मोहिन्द्र, निवासी मुहल्ला/गांव मुहल्ला माई का बाग, डाकघर सुलतानपुर, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी भाभी की मृत्यु तिथि 20-03-1975 को नगर परिषद् चम्बा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की भाभी की मृत्यु 20-03-1975 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 10-04-2025

मोहिन्द्र पुत्र जोतू, निवासी मुहल्ला/गांव व डाकघर उटीप, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत उटीप, विकास खण्ड चम्बा।

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-1061/2025, दिनांक 22-02-2025 अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-4297, दिनांक 21-02-2025, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी

मोहिन्द्र पुत्र जोतू, निवासी मुहल्ला/गांव व डाकघर उटीप, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 20-04-1964 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत उटीप के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत उटीप के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी मोहिन्द्र पुत्र जोतू, निवासी मुहल्ला/गांव व डाकघर उटीप, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 20-04-1964 को ग्राम पंचायत उटीप के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया के पुत्र की जन्म तिथि 20-04-1964 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 10-04-2025

सलीम पुत्र रोशनदीन, निवासी मुहल्ला/गांव ठण्डापाणी, डाकघर सिल्लाघाट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत सिल्लाघाट, विकास खण्ड चम्बा।

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-5191/2024, दिनांक 06-11-2024 अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-19491, दिनांक 15-10-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी रोशनदीप पुत्र फतेमुहम्मद, निवासी मुहल्ला/गांव ठण्डापाणी, डाकघर सिल्लाघाट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसके पुत्र की जन्म तिथि 18-09-2009 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत सिल्लाघाट के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत सिल्लाघाट के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी रोशनदीप पुत्र फतेमुहम्मद, निवासी मुहल्ला/गांव ठण्डापाणी, डाकघर सिल्लाघाट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसके पुत्र की जन्म तिथि 18-09-2009 को ग्राम पंचायत सिल्लाघाट के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार

के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया के पुत्र की जन्म तिथि 18-09-2009 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 10-04-2025

रोशनी देवी पत्नी श्री विष्णु, निवासी मुहल्ला/गांव कोटा, डाकघर लुडडू, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत लुडडू, विकास खण्ड मैहला।

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-3348/2024, दिनांक 27-07-2024 अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-13911, दिनांक 27-07-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी श्री विष्णु पुत्र श्री हंस राज, निवासी मुहल्ला/गांव कोटा, डाकघर लुडडू, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी पत्नी की मृत्यु तिथि 30-05-2019 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत लुडडू के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी पत्नी की मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत लुडडू के मृत्यु रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी श्री विष्णु पुत्र श्री हंस राज, निवासी मुहल्ला/गांव कोटा, डाकघर लुडडू, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी पत्नी की मृत्यु तिथि 30-05-2019 को ग्राम पंचायत लुडडू के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की पत्नी की मृत्यु तिथि 30-05-2019 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 10-04-2025

नगीना बेगम पुत्री श्री शैर मोहम्मद, निवासी मुहल्ला/गांव व डाकघर करीयां, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत करीयां, विकास खण्ड मैहला।

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-3387/2024, दिनांक 29-07-2024 अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-10448, दिनांक 18-05-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिससे प्रार्थिया नगीना बेगम पुत्री श्री शैर मोहम्मद, निवासी मुहल्ला/गांव व डाकघर करीयां, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 02-07-1974 किन्हीं कारणों से नगर परिषद् चम्बा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत करीयां के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया नगीना बेगम पुत्री श्री शैर मोहम्मद, निवासी मुहल्ला/गांव व डाकघर करीयां, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में जन्म तिथि 02-07-1974 को ग्राम पंचायत करीयां के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 02-07-1974 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 10-04-2025

प्रकाशो पुत्र श्री बैसू, निवासी मुहल्ला/गांव डिगर, डाकघर बाट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत बाट, विकास खण्ड मैहला।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-6333/2024, दिनांक 09-12-2024 अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-20616, दिनांक 08-11-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी प्रकाशो पुत्र श्री बैसू, निवासी मुहल्ला/गांव डिगर, डाकघर बाट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 02-03-1964 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत बाट के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत बाट के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी प्रकाशो पुत्र श्री बैसू, निवासी मुहल्ला/गांव डिगर, डाकघर बाट, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 02-03-1964 को ग्राम पंचायत बाट के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की जन्म तिथि 02-03-1964 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 10-04-2025

लियाकत अली पुत्र श्री हनीफ, निवासी मुहल्ला/गांव अंदरालपटा, डाकघर रजेरा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत गागला, विकास खण्ड मैहला।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-4296/2024, दिनांक 18-09-2024 अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-17452, दिनांक 13-09-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी लियाकत अली पुत्र श्री हनीफ, निवासी मुहल्ला/गांव अंदरालपटा, डाकघर रजेरा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 27-05-2010 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत गागला के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत गागला के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी लियाकत अली पुत्र श्री हनीफ, निवासी मुहल्ला/गांव अंदरालपटा, डाकघर रजेरा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 27-05-2010 को ग्राम पंचायत बाट के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में उसकी जन्म तिथि 27-05-2010 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 10-04-2025

गोरखी पुत्री श्री रूमी, निवासी मुहल्ला/गांव व डाकघर कुपाहडा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत कुपाहडा, विकास खण्ड मैहला।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-3541/2024, दिनांक 22-08-2024 अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-333, दिनांक 05-01-2024, शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थिया गोरखी पुत्री श्री रूमी, निवासी मुहल्ला/गांव व डाकघर कुपाहडा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसकी जन्म तिथि 26-03-1971 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत कुपाहडा के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदिका ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत कुपाहडा के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया गोरखी पुत्री श्री रूमी, निवासी मुहल्ला/गांव व डाकघर कुपाहडा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के उसकी जन्म तिथि 26-03-1971 को ग्राम पंचायत कुपाहडा के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थिया की जन्म तिथि 26-03-1971 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 10-04-2025

जैसी पुत्र श्री निधिया, निवासी मुहल्ला/गांव मुकलैणी, डाकघर भडियां कोठी, तहसील व जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत भडियां, विकास खण्ड मैहला।

विषय.—जन्म/मृत्यु सम्बन्धित बारा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-6155/2024, दिनांक 04-12-2024 अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-21762, दिनांक 29-11-2024 शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी गजेंद्र सिंह पुत्र जैसी, निवासी मुहल्ला/गांव मुकलैणी, डाकघर भडियां कोठी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसके पिता की मृत्यु तिथि 02-11-2023 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत भडियां के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसके पिता की मृत्यु तिथि को ग्राम पंचायत भडियां के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी गजेंद्र सिंह पुत्र जैसी, निवासी मुहल्ला/गांव मुकलैणी, डाकघर भडियां कोठी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसके पिता की मृत्यु तिथि 02-11-2023 को ग्राम पंचायत भडियां के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी की मृत्यु तिथि 02-11-2023 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार, तहसील सदर चम्बा,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 10-04-2025

मंयक पुत्र श्री नारायण, निवासी मुहल्ला/गांव मडोलू, डाकघर जडेरा, तहसील व जिला चम्बा,
हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता एवं ग्राम पंचायत चम्बी, विकास खण्ड चम्बा।

इस अदालत में उप-मण्डलाधिकारी (ना0) चम्बा के कार्यालय पृष्ठांकन संख्या-1303/2025, दिनांक 06-03-2025 अधिकारी चम्बा के कार्यालय पत्र संख्या HFW-B&D/CMO-CBA/2024-5075, दिनांक 03-03-2025 शपथ-पत्र, अप्राप्यता प्रमाण-पत्र, नकल आधार कार्ड, नकल स्कूल प्रमाण-पत्र जिसमें प्रार्थी नारायण पुत्र श्री हरदेऊ, निवासी मुहल्ला/गांव मडोलू, डाकघर जडेरा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसके पुत्र की जन्म तिथि 30-10-2013 किन्हीं कारणों से ग्राम पंचायत चम्बी के कार्यालय अभिलेख में दर्ज न हुई है जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है इसलिए आवेदक ने अनुरोध किया है कि उसकी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत चम्बी के जन्म रजिस्टर में दर्ज/पंजीकृत किया जाये।

अतः सर्वसाधारण जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि प्रार्थी नारायण पुत्र श्री हरदेऊ, निवासी मुहल्ला/गांव मडोलू, डाकघर जडेरा, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश में उसके पुत्र की जन्म तिथि 30-10-2013 को ग्राम पंचायत चम्बी के जन्म/मृत्यु अभिलेख में दर्ज करने बारा अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन अपनी आपत्ति इस अदालत में इशतहार के प्रकाशन के एक माह के भीतर-भीतर सुबह 10.00 से सायं 5.00 बजे तक दर्ज करवा सकता है। निर्धारित अवधि में आपत्ति न आने की सूरत में प्रार्थी के पुत्र की जन्म तिथि 30-10-2013 को दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 10-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुए हैं।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं नायब तहसीलदार,
तहसील सदर चम्बा, जिला चम्बा (हि0प्र0)।

**In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar), Bhoranj,
District Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

Piar Chand s/o Sh. Rupa Ram, r/o Village Seu, P.O. Kharwar, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) .. Applicant.

Versus

General Public

.. Respondent.

Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth and Death Registration Rules, 2003.

Whereas, Piar Chand s/o Sh. Rupa Ram, r/o Village Seu, P.O. Kharwar, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering of his date of birth *i.e.* 04-03-1966 in the record of Gram Panchayat Nandhan, Tehsil Bhoranj and Distt. Hamirpur (H.P.).

Now, therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed birth event of Piar Chand may submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 11-04-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 11th March, 2025.

Seal.

Sd/-

*Executive Magistrate (Tehsildar),
Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).*

**In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar), Bhoranj,
District Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

Savitri Devi d/o Sh. Govind Ram, r/o Village Dalalar, P.O. Jijwin, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) . . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.— Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth and Death Registration Rules, 2003.

Whereas, Savitri Devi d/o Sh. Govind Ram, r/o Village Dalalar, P.O. Jijwin, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) has moved an application before the court of undersigned under section 13(3) of Birth & Death registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth and Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents entering of her date of birth *i.e.* 10-12-1939 in the record of Gram Panchayat Badhani, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

Now, therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed birth event of Savitri Devi d/o Sh. Govind Ram may submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 11-04-2025 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 11th March, 2025.

Seal.

Sd/-

*Executive Magistrate (Tehsildar),
Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).*

**In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar), Bhoranj,
District Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

Neena Kumari d/o Sh. Banshi Lal, r/o Village Chandruhu, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) . . Applicant.

Versus

General Public . . Respondent.

Subject.— Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth and Death Registration Rules, 2003.

Whereas, Neena Kumari d/o Sh. Banshi Lal, r/o Village Chandruhu, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) has moved an application before the court of undersigned under section 13(3) of Birth & Death registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth and Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering of her date of birth *i.e.* 05-03-1968 in the record of Gram Panchayat Palpal, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

Now, therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed birth event of Neena Kumari d/o Sh. Banshi Lal may submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 11-04-2025 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 11th March, 2025.

Seal.

Sd/-
*Executive Magistrate (Tehsildar),
Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).*

**In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar), Bhoranj,
District Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

Ragbir Singh s/o Sh. Chokesh Ram, r/o Village Kot Langsan, P.O. Awah Devi, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) . . Applicant.

Versus

General Public . . Respondent.

Subject.— Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth and Death Registration Rules, 2003.

Whereas, Raghbir Singh s/o Sh. Chokesh Ram, r/o Village Kot Langsan, P.O. Awah Devi, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) has moved an application before the court of undersigned under section 13(3) of Birth & Death registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth and Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering of his date of birth *i.e.* 13-03-1992 in the record of Gram Panchayat Kot Langsan, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

Now, therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed birth event of Raghbir Singh s/o Chokesh Ram may submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 11-04-2025 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 11th March, 2025.

Seal.

Sd/-

*Executive Magistrate (Tehsildar),
Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).*

**In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar), Bhoranj,
District Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

Duni Chand s/o Sh. Jai Gopal, r/o Village Bassi, P.O. & Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) . . Applicant.

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.— Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth and Death Registration Rules, 2003.

Whereas, Duni Chand s/o Sh. Jai Gopal, r/o Village Bassi, P.O. & Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) has moved an application before the court of undersigned under section 13(3) of Birth & Death Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth and Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering of his date of birth *i.e.* 10-12-1934 in the record of Gram Panchayat Bhoranj, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

Now, therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed birth event of Duni Chand may submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 11-04-2025 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 11th March, 2025.

Seal.

Sd/-

*Executive Magistrate (Tehsildar),
Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).*

**In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar), Bhoranj,
District Hamirpur (H.P.)**

In the matter of :

Veena Devi d/o Sh. Dhani Ram, r/o Village Ladraur, P.O. Ladraur, Tehsil Bhoranj,
District Hamirpur (H.P.)

Versus

General Public

. . Respondent.

Subject.— Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth and Death Registration Rules, 2003.

Whereas, Veena Devi d/o Sh. Dhani Ram, r/o Village Ladraur, P.O. Ladraur, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) has moved an application before the court of undersigned under section 13(3) of Birth & Death registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth and Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering of her date of birth *i.e.* 24-05-1967 in the record of Gram Panchayat Jharlog, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

Now, therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed birth event of Veena Devi d/o Sh. Dhani Ram may submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 11-04-2025 at 10.00 A.M. failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 11th March, 2025.

Seal.

Sd/-
*Executive Magistrate (Tehsildar),
Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).*

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

Smt. Kamla Devi d/o Shri Joginder Singh, r/o V.P.O. Sidhwari, Tehsil Dharamshala,
District Kangra (H.P.).

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Smt. Kamla Devi d/o Shri Joginder Singh, r/o V.P.O. Sidhwari, Tehsil Dharamshala,
District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी self

Kamla Devi d/o Shri Joginder Singh का जन्म/मृत्यु दिनांक 20-02-1983 को हुआ है परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/ग्राम पंचायत में जन्म/मृत्यु पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा/मुश्री मुनादी के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को भी उपरोक्त Kamla Devi के जन्म/मृत्यु पंजीकृत किये जाने बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह हमारी अदालत में दिनांक 05-04-2025 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म/मृत्यु तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, तहसील धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा: तकसीम

1. कपिल कुमार, 2. अशोक कुमार पुत्र व 3. मीनाक्षी पुत्री व 4. श्यामा देवी विधवा श्याम लाल, 5. संजीव कुमार, 6. पंकज महाजन पुत्र राम चंद, 7. आशीष पुत्र प्रदीप, 8. वीना विधवा राम चरण, 9. दिनेश कुमार पुत्र नरेन दास, 10. संजीव कुमार पुत्र व 11. अनीता, 12. बबीता पुत्रियां स्वर्गीय हंस राज, 13. अश्वनी कुमार पुत्र ओम प्रकाश, 14. शैलजा पुत्री, 15. अरुणा विधवा ओंकार चंद, 16. सुभाष चंद पुत्र प्रेम दास, 17. इन्दिरा देवी पुत्री प्रेमदास, 18. मनु, 19. सुमित पुत्र व 20. निधि पुत्री व 21. इन्दु विधवा बलबीर कुमार, 22. चंदरेश्वर पुत्र प्रेम दास बजरिया कौंसल श्री चंदेश्वर गुप्ता ADV धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

बनाम

1. प्यारे लाल, 2. नरेन दास, 3. चमन, 4. देश राज, 5. प्रमेश्वरी दास पुत्र व पून्या देवी, धर्मो देवी, कांता देवी पुत्रियां रूमी, निवासी महाल सोकनी दा कोट, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

विषय.—प्रार्थना-पत्र तकसीम भूमि खाता नं0 150, खतौनी नं0 265 ता 267, खसरा नम्बर 365, 368, 331, 624/1, कित्ता 4, रकबा तादादी 00-05-92-10 है0 व खाता नं0 151, खतौनी नं0 268, 269, 270, खसरा कित्ता 7, रकबा तादादी 00-73-72 है0, खाता नं0 152, खतौनी नं0 271, खसरा कित्ता 1, रकबा तादादी 00-31-17 है0, खाता नं0 153, खतौनी नं0 272, 273 खसरा कित्ता 6, रकबा तादादी 00-69-13 है0 वाक्या महाल महाल सोकनी-दा-कोट, मौजा खनियारा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।

प्रार्थना पत्र : प्रार्थी 1. कपिल कुमार, 2. अशोक कुमार पुत्र व 3. मीनाक्षी पुत्री व 4. श्यामा देवी विधवा श्याम लाल, 5. संजीव कुमार, 6. पंकज महाजन पुत्र राम चंद, 7. आशीष पुत्र प्रदीप, 8. वीना विधवा राम चरण, 9. दिनेश कुमार पुत्र नरेन दास, 10. संजीव कुमार पुत्र व 11. अनीता, 12. बबीता पुत्रियां स्वर्गीय हंस राज, 13. अश्वनी कुमार पुत्र ओम प्रकाश, 14. शैलजा पुत्री, 15. अरुणा विधवा ओंकार चंद, 16. सुभाष चंद पुत्र प्रेम दास, 17. इन्दिरा देवी पुत्री प्रेम दास, 18. मनु, 19. सुमित पुत्र व 20. निधि पुत्री व 21. इन्दु विधवा

बलबीर कुमार, 22. चंदरेश्वर पुत्र प्रेम दास बजरिया कौंसल श्री चंदेश्वर गुप्ता ADV धर्मशाला, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ने प्रार्थना-पत्र तकसीम हुकमन बारे गुजारा है तथा कागजात तकसीम भी हल्का कानूनगो द्वारा तैयार करके इस कार्यालय में प्रेषित कर दिये हैं, जिसमें उपरोक्त प्रतिवादीगण बावजूद समन साधारण तरीके से तामील न हो पा रहे हैं, इसलिए प्रतिवादीगण प्यारे लाल, 2. नरेन दास, 3. चमन, 4. देश राज, 5. प्रमेश्वरी दास पुत्र व 6. पून्या देवी, 7. धर्मो देवी, 8. कांता देवी पुत्रियां रूमी, निवासी महाल सोकनी दा कोट, मौजा खनियारा को इस मुश्री/मुनादी के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी पक्ष को उपरोक्त वर्णित भूमि की तकसीम करने बारे कोई भी उजर/एतराज हो तो वह अधोहस्ताक्षरी की अदालत में दिनांक 16-04-2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपने उजर/एतराज पेश कर सकता है, अन्यथा हाजिर न आने कि सूरत में उपरोक्त प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी व तरीका तकसीम जारी कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 03-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 04 / 2025

तारीख पेशी : 16-04-2025

श्रीमती सुभद्रा देवी पुत्री वसन्त सिंह, निवासी गांव खजुरनू, डाकघर मूण्डी, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत मूण्डी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र।

इशतहार अखबारी व मुश्री मुनादी।

श्रीमती सुभद्रा देवी पुत्री वसन्त सिंह, निवासी गांव खजुरनू, डाकघर मूण्डी, तहसील थुरल, ग्राम पंचायत मूण्डी, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया है कि उसका जन्म दिनांक 24-06-1974 को गांव खजुरनू, ग्राम पंचायत मूण्डी में हुआ है, परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थिया इस न्यायालय के माध्यम से अपने जन्म का पंजीकरण करने के आदेश ग्राम पंचायत मूण्डी को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए, इस इशतहार मुश्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उक्त सुभद्रा देवी की जन्म तिथि 24-06-1974 के पंजीकरण बारे किसी प्रकार की आपत्ति या उजर है तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 16-04-2025 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है। बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त चतर सिंह की जन्म तिथि 24-06-1974 के पंजीकरण करने के आदेश उप-स्थानीय पंजीकार, जन्म व मृत्यु, ग्राम पंचायत कौना को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 18-03-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी
थुरल, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री अभिषेक भास्कर, कार्यकारी दण्डाधिकारी जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 23/तह/2025

किस्म : मृत्यु पंजीकरण

तारीख पेशी : 17-04-2025

सुभाष चन्द पुत्र स्व0 श्री गोपाल दास, गांव डलू, डाकघर वीजापुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—मुस्त्री मुनादी व इशतहार अखबारी बराये मृत्यु दर्ज करने बारे।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में श्री सुभाष चन्द पुत्र स्व0 श्री गोपाल दास, गांव डलू, डाकघर वीजापुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किया व आवेदन किया है कि मेरे पिता श्री गोपाल दास पुत्र स्व0 श्री गिरधारी लाल गांव डलू, डाकघर वीजापुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 की मृत्यु दिनांक 22-09-2018 को गांव डलू, डाकघर वीजापुर, ग्राम पंचायत हलेड़, तहसील जयसिंहपुर में हुई थी। इस सन्दर्भ में प्रार्थी ने अपना शपथ-पत्र भी संलग्न किया है परन्तु अज्ञानतावश प्रार्थी व उसके परिवार के किसी सदस्य ने मृत्यु का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया है। अतः प्रार्थी न्यायालय के माध्यम से अपने पिता की मृत्यु का पंजीकरण करने का आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत हलेड़ को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करते हुए इस इशतहार मुस्त्री मुनादी व चरपांगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को मेरे पिता श्री गोपाल दास पुत्र गिरधारी लाल की मृत्यु तिथि 22-09-2018 के पंजीकरण बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 17-04-2025 को दोपहर 02.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज न सुना जावेगा व उपरोक्त जन्म पंजीकरण दर्ज करने का आदेश उप-स्थानीय पंजीकार, जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत हलेड़ को जारी कर दिया जाएगा।

यह इशतहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 07-03-2025 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

कार्यालय तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मु0 नं0 : 02/NT/B/2025

तारीख दायरा : 25-02-2025

तारीख पेशी : 02-04-2025

प्रवीण चौहान पुत्री प्रेम कुमार चौहान, वासी संसारपुर टैरस, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

विषय.—आवेदन—पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम 1969.

प्रवीण चौहान पुत्री प्रेम कुमार चौहान, वासी संसारपुर टैरस, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में आवेदन किया है कि प्रार्थिया का जन्म दिनांक 17-02-1983 को महाल संसारपुर टैरस, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह अपना नाम तथा जन्म तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं करवा पाई है।

अतः सर्वसाधारण एवं उनके रिश्तेदारों को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 02-04-2025 को समय प्रातः 10.00 बजे या इससे पहले असालतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/न्यायालय में उपस्थित होकर कर सकता है। यदि उपरोक्तवर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा उक्त व्यक्ति का नाम श्रीमती प्रवीण चौहान पुत्री प्रेम कुमार चौहान, वासी संसारपुर टैरस तथा जन्म तिथि 17-02-1983 दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत घाटी को आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 25-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय/न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

कार्यालय तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मु0 नं0 : 03/NT/B/2025

तारीख दायरा : 04-03-2025

तारीख पेशी : 05-04-2025

सन्धया देवी पुत्री भागमल चौहान, वासी बढाल, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता।

विषय.—आवेदन—पत्र अधीन धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु अधिनियम 1969.

श्रीमती सन्धया देवी पुत्री भागमल चौहान, वासी बढाल, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस कार्यालय/न्यायालय में आवेदन किया है कि प्रार्थिया का जन्म दिनांक 01-01-1963 को महाल बढाल, तहसील जसवां, जिला कांगड़ा में हुआ था परन्तु अज्ञानतावश वह अपना नाम तथा जन्म तिथि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज नहीं करवा पाई है।

अतः सर्वसाधारण एवं उनके रिश्तेदारों को इस इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी व्यक्ति को कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 02-04-2025 को समय प्रातः 10.00 बजे या इससे पहले असागतन या वकालतन अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय/न्यायालय में उपस्थित होकर कर सकता है। यदि उपरोक्तवर्णित तिथि को किसी भी व्यक्ति का कोई उजर या एतराज इस न्यायालय में प्राप्त नहीं होता है तो इस न्यायालय द्वारा उक्त व्यक्ति का नाम श्रीमती सन्धया देवी पुत्री भागमल चौहान, वासी बढाल तथा जन्म तिथि 01-01-1963 दर्ज करने हेतु ग्राम पंचायत घाटी को आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 25-02-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर कार्यालय/न्यायालय से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
जसवां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

**Before the District Registrar (Marriages)-cum-Additional Deputy Commissioner Kullu,
District Kullu (H.P.)**

1. Ashish Sharma s/o Sh. Prabhu Dyal, r/o Village Balsari, P.O. Chhiyal, Tehsil Manali, District Kullu, H.P.

2. Mohini d/o Sh. Santosh Sharma, r/o VPO Jagatsukh, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.)

Versus

General Public

Subject.—Regarding Registration of Marriage u/s 8(3) of the H.P. Registration of Marriage Act, 1996.

Ashish Sharma s/o Sh. Prabhu Dyal, r/o Village Balsari, P.O. Chhiyal, Tehsil Manali, District Kullu, H.P. & Mohini d/o Sh. Santosh Sharma, r/o VPO Jagatsukh, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) have filed an application along with the affidavits in the office of undersigned stating therein that they have solemnised their marriage on 08-03-2025, but marriage has not been found entered in the records of Registrar of Marriage, Gram Panchayat Nasogi in Tehsil Manali, District Kullu, H.P.

Therefore, objections are hereby invited from the general public through this notice, that if anyone has any objection regarding the registration of this marriage, they can file their objection personally or in writing before the court of the undersigned within 30 days from the publication of this notice.

Issued my hand and seal of the court today on 10th March, 2025.

Seal.

Sd/-
(ASHWANI KUMAR),
District Registrar (Marriages)-cum-ADC
Kullu, District Kullu (H.P.).

**Before the District Registrar (Marriages)-cum-Additional Deputy Commissioner Kullu,
District Kullu (H.P.)**

1. Akshit Sood s/o Sh. Manoj Sood, r/o Ward No. 4, Akhara Bazar, Tehsil Kullu District Kullu, H.P.
2. Shalini d/o Sh. Kapil Dev, r/o Village Jhiri, P.O. Nagwain, Tehsil Aut, District Mandi, (H.P.)

Versus

General Public

Subject.—Regarding Registration of Marriage u/s 8(3) of the H.P. Registration of Marriage Act, 1996.

Akshit Sood s/o Sh. Manoj Sood, r/o Ward No. 4, Akhara Bazar, Tehsil Kullu, District Kullu, H.P. & Shalini d/o Sh. Kapil Dev, r/o Village Jhiri, P.O. Nagwain, Tehsil Aut, District Mandi, (H.P.) have filed an application along with the affidavits in the office of undersigned stating therein that they have solemnised their marriage on 06-11-2024, but marriage has not been found entered in the records of Registrar of Marriage, Municipal Council Kullu in Tehsil Kullu, District Kullu, H.P.

Therefore, objections are hereby invited from the general public through this notice, that if anyone has any objection regarding the registration of this marriage, they can file their objection personally or in writing before the court of the undersigned within 30 days from the publication of this notice.

Issued my hand and seal of the court today on 13th March, 2025.

Seal.

Sd/-
(ASHWANI KUMAR),
District Registrar (Marriages)-cum-ADC
Kullu, District Kullu (H.P.).

**Before the Assistant Collector 2nd Grade, Dhalwan,
District Mandi, H. P.**

In the matter of :—

Shri Rattan Lal s/o Sh. Vajeera Ram, r/o Village Sadwal, P.O. Gehra, Sub-Tehsil Dhalwan, District Mandi (H.P.) . . Applicant.

Versus

General Public

. .Respondent.

Subject.—Notice for correction of name in revenue record.

Whereas, Shri Rattan Lal s/o Sh. Vajeera Ram, r/o Village Sadwal, P.O. Gehra, Sub-Tehsil Dhalwan, District Mandi (H.P.) has filed an application in the court of undersigned in which he has stated that his name was wrongly written as Rattan Chand s/o Sh. Vajeera in the revenue record of Patwar Circle Bharnal, Muhal Sadwal, while actual name of the applicant is Rattan Lal Dass s/o Sh. Vajeera Ram. He has also produced copies of Aadhar Card, Pan Card, Panchayat Record and an affidavit in this regard alongwith Nakal Jamabandi for the year 2019-2020.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this correction, may file his objections either personally or through an agent in writing before this court on or before 12-04-2025. In case no objection is received by 12-04-2025, it will be presumed that there is no objection to the aforesaid correction and same will be corrected under the relevant Act accordingly.

Issued under my hand and seal of this court today on 12th March, 2025.

Seal.

Sd/-
Assistant Collector 2nd Grade, Dhalwan,
District Mandi (H. P.).

—————
**Before the Assistant Collector 2nd Grade, Dhalwan,
District Mandi, H. P.**

In the matter of :—

Shri Thakur Dass s/o Sh. Ghuna Ram, r/o Vill. Kolni, P.O. Dhalwan, Sub-Tehsil Dhalwan,
District Mandi (H.P.) . .Applicant.

Versus

General Public

. .Respondent.

Subject.—Notice for correction of name in revenue record.

Whereas, Shri Thakur Dass s/o Sh. Ghuna Ram, r/o Vill. Kolni, P.O. Dhalwan, Sub-Tehsil Dhalwan, District Mandi (H.P.) has filed an application in the court of undersigned in which he has stated that his name was wrongly written as Thakru s/o Sh. Ghuna in the revenue record of Patwar Circle Bharnal, Muhal Kolni, while actual name of the applicant is Thakur Dass s/o Sh. Ghuna Ram. He has also produced copies of Aadhar Card, Pan Card, Panchayat Record and an Affidavit in this regard alongwith Nkkal Jamabandi for the year 2018-2019.

Therefore, the General Public is hereby informed through this notice that if any person having any objection regarding this correction, may file his objections either personally or through

an agent in writing before this court on or before 12-04-2025. In case no objection is received by 12-04-2025, it will be presumed that there is no objection to the aforesaid correction and same will be corrected under the relevant Act accordingly.

Issued under my hand and seal of this court today on 12th March, 2025.

Seal.

Sd/-
Assistant Collector 2nd Grade, Dhalwan,
District Mandi (H. P.).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

श्री मुहम्मद आरिफ पुत्र श्री असगर अली, निवासी गांव डुगराई, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) through मुखत्यारआम पत्नी श्रीमती हलीमा खातून श्री मुहम्मद आरिफ पुत्र श्री असगर अली, निवासी गांव डुगराई, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थीगण।

प्रार्थना—पत्र सचिव, ग्राम पंचायत डुगराई, तहसील सुन्दरनगर में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्री मुहम्मद आरिफ पुत्र श्री असगर अली, निवासी गांव डुगराई, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में आवेदन—पत्र मय शपथ—पत्र, District Registrar (Birth & Death)-cum-Chief Medical Officer Mandi द्वारा दिया गया पत्र व अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत किया है कि उसका जन्म दिनांक 14-02-1986 को गांव डुगराई, डाकघर कनैड, ग्राम पंचायत डुगराई, तहसील सुन्दरनगर में हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत डुगराई, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज नहीं है। प्रार्थी अपनी जन्म तिथि को ग्राम पंचायत डुगराई, तहसील सुन्दरनगर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इशतहार के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त जन्म तिथि दर्ज करने बारा किसी भी प्रकार का कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-04-2025 को मुकर्र तारीख पर बवक्त 10.00 बजे सुबह असागतन या वकालतन हाजिर आकर पैरवी मुकदमा करें अन्यथा आपके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 12-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
(राजवीर वर्मा),
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कोटली, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मिसल नं० : 03/2025

तारीख मजरूआ : 21-02-2025

तारीख पेशी : 10-04-2025

श्रीमती गीता देवी पुत्री सरन दास, निवासी हाल पत्नी पुर्ण चन्द, गांव बडयार, डाकघर भरगांव, तहसील कोटली, जिला मण्डी (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्रीमती गीता देवी पुत्री सरन दास, निवासी पत्नी हाल पुर्ण चन्द, गांव बडयार, डाकघर भरगांव, तहसील कोटली, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र गुजार कर निवेदन किया है कि प्रार्थिया का नाम गीता देवी जन्म दिनांक 15-07-1986 को घर पर हुआ है लेकिन उनकी जन्म तिथि ग्राम पंचायत भरगांव, तहसील कोटली, जिला मण्डी, हि0प्र0 के जन्म रजिस्टर में दर्ज नहीं है। अतः ग्राम पंचायत भरगांव में उनकी जन्म तिथि जन्म/मृत्यु रजिस्टर में पंजीकृत किया जावे।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि अगर किसी हितबद्ध व्यक्ति को श्रीमती गीता देवी पुत्री सरन दास, निवासी हाल पत्नी पुर्ण चन्द, गांव बडयार, डाकघर भरगांव, तहसील कोटली, जिला मण्डी (हि0प्र0) की जन्म तिथि पंजीकरण ग्राम पंचायत भरगांव के जन्म रजिस्टर में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह इस न्यायालय में दिनांक 10-04-2025 को प्रातः 11.00 बजे तक असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना पक्ष/एतराज पेश कर सकते हैं। समय पर हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

यह इशतहार आज दिनांक 15-03-2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कोटली, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील कोटखाई, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मिसल सं0 : 3 / 2024

02-12-2024

कुमारी काव्यांशी पुत्री रिंकी, निवासी वार्ड नं0-7, नगर पंचायत कोटखाई, तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.— जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण बारे।

इस अदालत में श्रीमती रिंकी कुमारी पत्नी राजेन्द्र कुमार, निवासी वार्ड नं0-7, नगर पंचायत कोटखाई, तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि0प्र0) की पुत्री काव्यांशी का जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) तथा हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण 9(2/3) के अन्तर्गत आवेदन पत्र अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु, शिमला, जिला शिमला, पत्रांक संख्या एच.एफ.डब्ल्यू-एस.एम.एल./जन्म एवं मृत्यु/एस.टी./2024-9-6563, दिनांक 19-09-2024 के माध्यम से इस कार्यालय/न्यायालय में प्राप्त हुआ है जिसमें शपथ—पत्र प्रार्थिया व गवाहन, अप्राप्यता प्रमाण—पत्र, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण—पत्र संलग्न हैं। मुताबिक उक्त दस्तावेजों में काव्यांशी की जन्म तिथि 22-12-2010 है जोकि नगर पंचायत कोटखाई के जन्म

व मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं है। जोकि नियमानुसार दर्ज होना अनिवार्य है। इसलिए प्रार्थिया ने अनुरोध किया है कि उसकी पुत्री काव्यांशी की जन्म तिथि नगर पंचायत कोटखाई के अभिलेख में दर्ज/पंजीकृत की जावे।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति को इसके सम्बन्ध में कोई उजर/एतराज हो तो वह इस इशतहार के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर इस न्यायालय में असालतन व वकालतन उपस्थित होकर अपनी आपत्ति दर्ज करवाए। एक माह की अवधि के पश्चात् कोई भी आपत्ति/उजर काबिले समायत न होगी तथा जन्म तिथि 22-12-2010 को सम्बन्धित नगर पंचायत के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 11-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील कोटखाई, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री आशीष पुत्र बाबू राम, निवासी भून्नी, डा0 सरी, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

Application for correction of name in the Aadhar Card.

आम जनता को इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री आशीष पुत्र बाबू राम, निवासी भून्नी डा0 सरी, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसका नाम आधार कार्ड में अन्शू कुमार दर्ज है जोकि गलत है। उसका सही नाम श्री आशीष है। आधार कार्ड में अन्शू कुमार के स्थान पर आशीष दुरुस्त करने के आदेश पारित किए जाएं। प्रार्थना-पत्र के साथ सत्यापित शपथ-पत्र, नकल परिवार रजिस्टर, दसवीं पास प्रमाण-पत्र की छायाप्रति व आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न की है। आधार कार्ड में अन्शू कुमार दर्ज है, जबकि नकल परिवार रजिस्टर, दसवीं पास प्रमाण-पत्र में प्रार्थी का नाम आशीष दर्ज है जोकि सही व दुरुस्त है।

अतः आम जनता को इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी आम व खास को अन्शू कुमार के स्थान पर आशीष दुरुस्त करने में कोई एतराज हो तो दिनांक 04-04-2025 को या इससे पूर्व इस अदालत में असालतन या वकालतन जैसी भी सूत्र हो हाजिर आकर अपना एतराज पेश करें। दिगर सूत्र में आधार कार्ड में नाम दुरुस्त करने हेतु आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 05-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
चौपाल, जिला शिमला (हि0प्र0)।

ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी, चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री नेत्र सिंह पुत्र स्व० श्री लच्छी राम, निवासी ग्राम नागन, डाकघर पुलबाहल, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

Application for death entry in the death register of the G.P. Jawag-Chamrog.

आम जनता को इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री नेत्र सिंह पुत्र स्व० श्री लच्छी राम, निवासी ग्राम नागन, डाकघर पुलबाहल, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र दायर किया है कि उसके स्व० पिता श्री लच्छी राम पुत्र कांसीया की मृत्यु दिनांक 15-06-2003 को हो चुकी है जिसकी मृत्यु का पंजीकरण ग्राम पंचायत जावग छमरोग में अपनी लापरवाही से समय से दर्ज नहीं करवा सका। प्रार्थी ग्राम पंचायत जावग छमरोग में अपने पिता स्व० लच्छी राम पुत्र कांसीया की मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज करवाना चाहता है। प्रार्थना-पत्र के साथ सत्यापित शपथ-पत्र व रजिस्टर ग्राम पंचायत जावग छमरोग द्वारा जारी रिपोर्ट प्रपत्र-10 संलग्न की है।

अतः आम जनता को इस नोटिस के द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी आम व खास को श्री लच्छी राम पुत्र कांसीया की मृत्यु दिनांक 15-06-2003 का पंजीकरण ग्राम पंचायत जावग छमरोग में दर्ज करने में कोई एतराज हो तो दिनांक 05-04-2025 को या इससे पूर्व इस अदालत में असालतन या वकालतन जैसी भी सूरत हो हाजिर आकर अपना एतराज पेश करें। दिगर सूरत में श्री लच्छी राम पुत्र कांसीया की मृत्यु दिनांक 15-06-2003 का पंजीकरण ग्राम पंचायत जावग छमरोग में दर्ज करने हेतु ओदश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 06-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,
चौपाल, जिला शिमला (हि०प्र०)।

In the Court of Assistant Collector, Ist Grade, Tehsil Kupvi, District Shimla (H. P.)

Sh. Kirpa Ram s/o Late Sh. Bali Ram, Village Tikkar, P.O. Kulag, Tehsil Kupvi, District Shimla, Himachal Pradesh

Versus

General Public

Subject.—Application u/s 35 to 38 of H.P. Land Revenue Act, 1954 for correction of name in revenue record Mohal Tikkar, PC Charoli, Tehsil Kupvi, District Shimla (H.P.)

Whereas, the applicant Sh. Kirpa Ram s/o Late Sh. Bali Ram, Village Tikkar, P.O. Kulag, Tehsil Kupvi, District Shimla, Himachal Pradesh presented an application for correction of his father name in revenue record- Mohal Tikkar, PC Charoli recorded as Pinjar in place of Bali Ram he stated that his father name in family register of concerned panchayat and in all other relevant document is Bali Ram which is the correct name. But in revenue record of mohal Tikkar his father

name entered as Pinjar which is wrong in place of Bali Ram and requested to correct the name in revenue record Mohal Tikkar as Bali Ram instead of Pinjar. He further stated that in other relevant document his father name is recorded as Bali Ram.

Hence, this proclamation is issued to the general public if anybody have any objection/claim regarding this entry in the revenue record as Bali Ram instead of Pinjar may file their objection/claim before this court within a period of one month from the publication of this notice in the Gazette failing which necessary orders will be passed.

Issued under my signature and seal on 04-03-2025.

Seal.

Sd/-
Assistant Collector, Ist Grade,
Kupvi, District Shimla (H. P.).

In the Court of Assistant Collector, Ist Grade, Tehsil Kupvi, District Shimla (H. P.)

Sh. Mangat Ram s/o Late Sh. Jhuiya, Village Gounth, P.O. Manjholi, Tehsil Kupvi, District Shimla, Himachal Pradesh

Versus

General Public

Subject.—Application u/s 35 to 38 of H.P. Land Revenue Act, 1954 for correction of name in revenue record Mohal Manjholi, PC Gounth, Tehsil Kupvi, District Shimla (H.P.)

Whereas, the applicant Sh. Mangat Ram s/o Late Sh. Jhuiya, Village Gounth, P.O. Manjholi, Tehsil Kupvi, District Shimla, Himachal Pradesh presented an application for correction of his name in revenue record Mohal Manjholi, PC Gounth, recorded as Mast Ram in place of Mangat Ram he stated that his name in family register of concerned Panchayat and in all other relevant document is Mangat Ram which is the correct name. But in revenue record of mohal Manjholi his name entered as Mast Ram which is wrong in place of Mangat Ram and requested to correct the name in revenue record Mohal Manjholi as Mangat Ram instead of Mast Ram. He further stated that in other relevant document his name is recorded as Mangat Ram.

Hence, this proclamation is issued to the general public if anybody have any objection/claim regarding this entry in the revenue record as Mangat Ram instead of Mast Ram may file their objection/claim before this court within a period of one month from the publication of this notice in the Gazette failing which necessary order will be passed.

Issued under my signature and seal on 04-03-2025.

Seal.

Sd/-
Assistant Collector, Ist Grade,
Kupvi, District Shimla (H. P.).

**In the Court of Sh. Vijay Wardhan, IAS, Sub-Divisional Magistrate, Rohru,
District Shimla (H.P.)**

In the matter of :

Sh. Kundan Singh s/o Hukmi Nand, r/o Village Maktot, P.O. Gaonsari, Tehsil Chirgaon,
District Shimla (H.P.) . . Applicant.

Versus

General Public . . Respondent.

Subject.—Application under section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Sh. Kundan Singh s/o Hukmi Nand, r/o Village Maktot, P.O. Gaonsari, Tehsil Chirgaon, District Shimla (H.P.) has filed an application alongwith affidavit in the court of the undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969, to enter the date of birth of himself (Kundan Singh) 12-05-1968 in the record of Birth Register of Gram Panchayat Gaonsari, Block Chhohara.

Now, therefore, objection are invited from the general public that if anyone has any objection regarding to enter the date of birth of (Kundan Singh 12-05-1968) they should appear before the court of undersigned within 30 days from the publication of this notice, either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there is no objection and order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 13th March, 2025.

Seal.

Sd/-
(VIJAY WARDHAN, IAS),
Sub-Divisional Magistrate,
Rohru, District Shimla (H.P.).

**In the Court of Ms. Kavita Thakur HPAS, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate
Shimla Rural, District Shimla (H.P.)**

1. Sh. Avnish Negi s/o Sh. Mahaveer Singh Negi, r/o Negi House below BCS, New Shimla, Tehsil Shimla (Rural) District Shimla, H.P. age 30 years.

2. Ms. Neelam Negi d/o Sh. Sitab Singh Rawat, r/o M.I.G. 1255, Phase-I, Model Town, bathinda, Punjab-151001, India, age 29 years.

Versus

General Public

Subject.—Registration of Marriage under section 8(4) of the H.P. Registration of Marriages Act, 1996.

Sh. Avnish Negi s/o Sh. Mahaveer Singh Negi, r/o Negi House below BCS, New Shimla, Tehsil Shimla (Rural) District Shimla H.P. and Ms. Neelam Negi d/o Sh. Sitab Singh Rawat, r/o M.I.G. 1255, Phase-I, Model Town, bathinda, Punjab-151001, India have filed an application alongwith affidavits in the court of the undersigned stating therein that they have solemnized their marriage on 12-10-2024 at Bhagya Charm's (Chhabra Palace) near Sports Stadium Bathinda Punjab, India but the marriage has not been found entered in the records of Registrar of Marriages, concerned M.C./Gram Panchayat, Tehsil & District Shimla.

Therefore, objections are hereby invited from the General Public through this notice, that if anyone has any objection regarding registration of this marriage, they can file their objections personally or in writing before the court of undersigned on or before one month of publication of this notice. After that no objection shall be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued under my hand and seal of the court today on 17th March, 2025.

Seal.

Sd/-

*Additional District Registrar of Marriage-cum-
Sub-Divisional Magistrate, Shimla (Rural).*

In the Court of Executive Magistrate, Theog, Tehsil Theog, District Shimla (H.P.)

Smt. Babita Devi d/o Sh. Jeet Ram, r/o Vill. Ghutan, P.O. Kaleend, Tehsil Theog, District Shimla, H.P.

Versus

General Public

. . Respondent.

Whereas, a case regarding entry of birth of Smt. Babita Devi d/o Sh. Jeet Ram, r/o Vill. Ghutan, P.O. Kaleend, Tehsil Theog has been received in this office from Additional District Registrar (Birth & Death) with *vide* letter No. 1540, dated 11-03-2025 for further necessary under section 13(3) of Birth & Death registration Act, 1969.

Whereas, Smt. Babita Devi has also submitted an application on dated 19-03-2025 in this office to enter the date of birth of her in the record of Registrar, Birth & Death in Gram Panchayat Kaleend, Tehsil Theog, District Shimla, H.P.

Sl. No.	Name of the person whose date of birth is to be entered	Relation	Date of Birth
1.	Babita Devi	self	23-07-1988

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding entry of the name & date of birth of above named present in the record of Registrar, Birth & Death in Gram Panchayat Kaleend, Tehsil Theog may file their claims/objections in the court

within one month of publication of this notice in Govt. e-Gazette, failing which necessary orders will be passed.

Issued todayunder my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-

*Executive Magistrate,
Theog, District Shimla (H.P.).*

ब अदालत श्री मयंक शर्मा, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : 02/2025

दायर तिथि : 11-03-2025

कलासी पुत्र भाग सिंह, निवासी ग्राम बाना, डा0 कोडगा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र भू-राजस्व अधिनियम की धारा 37(I) के तहत नाम दुरुस्ती बारे।

प्रार्थी कलासी पुत्र भाग सिंह, निवासी ग्राम बाना, डा0 कोडगा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) ने इस अदालत में एक प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी, राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी मौजा कोडगा, परिवार नकल, आयकर प्रमाण-पत्र, 10वीं अंक तालिका, हिमाचली व आधार कार्ड प्रति सहित इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है जिसमें प्रार्थिया ने प्रार्थना की है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त कोडगा में कैलाश चन्द पुत्र भाग सिंह दर्ज हो गया है, जोकि गलती से गलत दर्ज हुआ है। जिसे प्रार्थी अब दुरुस्त करवाना चाहता है। प्रार्थी अपना नाम जोकि मुताबिक उपरोक्त दस्तावेजों अनुसार राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त कोडगा में कैलाश चन्द पुत्र भाग सिंह की जगह सही नाम कलासी पुत्र भाग सिंह दुरुस्त करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-04-2025 या इससे पूर्व अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में उक्त नाम दुरुस्ती सम्बन्धित राजस्व अभिलेख में करने के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 11-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्रीमती निशा आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : 10/2025

दायर तिथि : 11-03-2025

मनीषा पुत्री कुन्दिया राम, निवासी ग्राम निगाली खिल, डाकघर कान्टी मशवा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया मनीषा पुत्री कुन्दिया राम, निवासी ग्राम निगाली खिल, डाकघर कान्ती मशवा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन-पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एच0एफ0डब्ल्यू0-एन0/एस0टी0/बी0 एण्ड डी0/डिलेय केसिस/2024-12412 दिनांक 24-02-2025 के द्वारा अनुलग्नों सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उसकी पुत्री का नाम तान्या पुत्री मनीषा देवी जन्म तिथि 27-08-2021 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया अपनी पुत्री का नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत कान्ती मशवा के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सकी है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि यदि इस बारे अगर किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-04-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन आकर दर्ज करवा सकता है निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थिया मनीषा पुत्री कुन्दिया राम, निवासी ग्राम निगाली खील, डाकघर कान्ती मशवा, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 11-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्रीमती निशा आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : 11/2025

दायर तिथि : 11-03-2025

मित्रा देवी पुत्री कुन्दन सिंह, निवासी ग्राम व डाकघर पौक्का, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया मित्रा देवी पुत्री कुन्दन सिंह, निवासी ग्राम व डाकघर पौक्का, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) का एक आवेदन-पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एच0एफ0डब्ल्यू0-एन0/एस0टी0/बी0 एण्ड डी0/डिलेय केसिस/2024-12411 दिनांक 24-02-2025 के द्वारा अनुलग्नों सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम मित्रा देवी पुत्री कुन्दन सिंह एवं जन्म तिथि 01-07-1970 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया अपना नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत पौक्का के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सकी है। जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे अगर किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-04-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्यदिवस में अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन आकर दर्ज करवा सकता है, निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थिया मित्रा देवी पुत्री कन्दन सिंह, निवासी ग्राम व डाकघर पौक्का, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 11-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्रीमती निशा आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, तहसील कमरऊ,
जिला सिरमौर (हि0प्र0)

केस नं0 : 12/2025

दायर तिथि : 12-03-2025

अनिल कुमार पुत्र खतरी राम, निवासी ग्राम भजौन, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी अनिल कुमार पुत्र खतरी राम, निवासी ग्राम भजौन, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) का एक आवेदन-पत्र द्वारा मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एच0एफ0डब्ल्यू0-एन0/एस0टी0/बी0 एण्ड डी0/डिलेय केसिस/2024-11382 दिनांक 15-02-2025 के द्वारा अनुलगनों सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है। जिसमें प्रार्थी द्वारा आग्रह किया गया है कि उसका नाम अनिल कुमार पुत्र खतरी राम एवं जन्म तिथि 09-04-1991 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी अपना नाम व जन्म तिथि का इन्द्राज ग्राम पंचायत भजौन के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सका है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे अगर किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 16-04-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित कमरऊ में असालतन या वकालतन आकर दर्ज करवा सकता है निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में प्रार्थी अनिल कुमार पुत्र खतरी राम, निवासी ग्राम भजौन, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 12-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
कमरऊ, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

कैस नं0 : /2025

दायर तिथि :

Tsering Dolker पुत्री Dawa Kyi, निवासी तीब्बटान कॉलोनी, House नं0 15, भूपपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी Tsering Palmo पुत्री Kunga, निवासी Tibetan settlement House नं0 13, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय कैसिस/2024-12413, दिनांक 24-02-2025 द्वारा अनुलंगन क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 10-10-1975 है, जिसका अज्ञानतावंश प्रार्थिया की जन्म तिथि का ईन्द्राज ग्राम पंचायत भाटावाली के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-04-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी दिन कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में Tsering Palmo पुत्री Kunga, निवासी Tibetan settlement House, नं0 13, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 10-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

कैस नं0 : /2025

Tsering Dolker पुत्री Dawa Kyi, निवासी तीब्बटान कॉलोनी, House नं0 15, भूपपुर, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया Tsering Dolker पुत्री Dawa Kyi, निवासी Tibetan Settlement, House नं0 15, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय कैसिस/2024-12414, दिनांक 24-02-2025 द्वारा अनुलंगन क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 10-11-1975 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया की जन्म तिथि का ईन्द्राज ग्राम पंचायत भाटावाली के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-04-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी दिन कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में Tsering Dolker पुत्री Dawa Kyi, निवासी Tibetan Settlement, House नं0 15, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 10-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

कैस नं0 : /2025

दायर तिथि :

श्रीमती रक्षा देवी पुत्री रोनकी राम, निवासी अम्बोया, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थिया श्रीमती रक्षा देवी पुत्री रोनकी राम, निवासी अम्बोया, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय कैसिस/2024-10888, दिनांक 31-01-2025 द्वारा अनुलंगन क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 13-03-1971 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थिया की जन्म तिथि का ईन्द्राज ग्राम पंचायत अम्बोया के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थिया अब दर्ज करवाना चाहती है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-04-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी दिन कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्रीमती रक्षा देवी पुत्री रोनकी राम, निवासी अम्बोया, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 10-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)

कैस नं0 : /2025

श्री दीपचंद पुत्र कुन्दन लाल, निवासी डोबरी सालवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

प्रार्थी श्री दीपचंद पुत्र कुन्दन लाल, निवासी डोबरी सालवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) का एक आवेदन पत्र मुख्य रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु/मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नाहन के पत्र एचएफडब्ल्यू-एन/एसटी/बीएण्डडी/डिलेय कैसिस/2024-10889, दिनांक 31-01-2025 द्वारा अनुलंगन क्रमशः अपना ब्यान हल्फी, दो गवाहन ब्यान हल्फी, आधार कार्ड सहित इस अदालत में प्राप्त हुआ है जिसमें प्रार्थी द्वारा प्रार्थना की है कि उसकी स्वयं की जन्म तिथि 03-06-1971 है, जिसका अज्ञानतावश प्रार्थी की जन्म तिथि का ईन्द्राज ग्राम पंचायत डोबरी सालवाला के जन्म अभिलेख में दर्ज नहीं करवा सके हैं जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार के मार्फत सूचित किया जाता है कि इस बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 10-04-2025 को प्रातः 11.00 बजे या इससे पूर्व किसी भी दिन कार्य दिवस में अदालत हजा स्थित पांवटा साहिब में असालतन या वकालतन हाजिर आकर दर्ज करा सकता है। निर्धारित तिथि या इससे पूर्व में कोई आपत्ति प्राप्त न होने की सूरत में श्री दीपचंद पुत्र कुन्दन लाल, निवासी डोबरी सालवाला, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0प्र0) के प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 10-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 02/NTB/M/2025

तारीख पेशी : 02-04-2025

श्रीमती स्वर्णा देवी

बनाम

आम जनता

विषय.—जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत आवेदन पत्र।

श्रीमती स्वर्णा देवी पुत्री रवल राम, वासी महाल वुसल, उप-तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0) ने शपथ-पत्र सहित आवेदन किया है कि उनका जन्म दिनांक 12-12-1965 को महाल वुसल, उप-तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना, हि0प्र0 में हुआ था और अज्ञानतावश उनके माता-पिता द्वारा ग्राम पंचायत छपरोह कलां के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में उनकी जन्म तिथि दर्ज न करवाई जा सकी है, लिहाजा जन्म तिथि 12-12-1965 (स्कूल त्याग प्रमाण-पत्र अनुसार) को दर्ज करने के आदेश पारित किए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को ग्राम पंचायत छपरोह कलां, उप-तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0) के जन्म एवं मृत्यु रजिस्टर में प्रार्थिया की जन्म तिथि 12-12-1965 को दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 02-04-2025 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर आकर अपना उजर/एतराज प्रस्तुत कर सकता है। एतराज न प्राप्त होने की सूरत में हस्ब जाबता कार्यवाही अमल में लाई जाकर मुकद्दमा का निर्णय कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 05-03-2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील बीहडू कलां, जिला ऊना (हि0प्र0)।

CHANGE OF NAME

I, Reeta Bhardwaj w/o Sh. Satish Bhardwaj, r/o Village Rashali, Tehsil Theog, Shimla (H.P.) 171201 declare that my daughter,s name Mahira Sharma (Old Name) she is my minor daughter that I have changed name of my daughter from Mahira Sharma (Old Name) to Tejasvini Bhardwaj (New Name). All concerned please note.

REETA BHARDWAJ
w/o Sh. Satish Bhardwaj,
r/o Village Rashali, Tehsil Theog, Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Kalimo Deen s/o Sh. Basheer Deen, r/o Village Kumra, P.O. Dewat, Tehsil Chopal, District Shimla (H.P.) 171211 declare that I have changed my minor daughter's name from Saniya (Previous Name) to Shania (New Name) all concerned please may note.

KALIMO DEEN
s/o Sh. Basheer Deen,
r/o Village Kumra, P.O. Dewat,
Tehsil Chopal, District Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Rhythm Chhatwal s/o Sh. Atul Kumar, r/o Rhythm House, Behind Block-28, Phase-III, Kangnadhar, New Shimla (H.P.) declare that in my CBSE Class 10th & 12th certificates my father name is mentioned as Atul Chhatwal and in Aadhar Card name is mentioned as Atul Kumar and in Passport No. S6494521 name is mentioned as Atul Kumar Chhatwal that Atul Kumar and Atul Chhatwal and Atul Kumar Chhatwal is the name of one and same person. Correct name of my father is Atul Kumar be made in all records.

RHYTHM CHHATWAL
s/o Sh. Atul Kumar,
r/o Rhythm House, Behind Block-28,
Phase-III, Kangnadhar, New Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Saniya Ram s/o Sh. Sobha, r/o Village Naina, P.O. Nainidhar, Tehsil Shillai, District Sirmaur (H.P.) declare that I have changed my name from Sohan Singh to Saniya Ram. All concerned please may note.

SANIYA RAM
s/o Sh. Sobha,
r/o Village Naina, P.O. Nainidhar,
Tehsil Shillai, District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Pramila Devi w/o Sh. Bhuri Singh, r/o Village Nihri, P.O. Dhartatoh, Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.) declare that I have changed my name from Promila to Pramila Devi. All concerned please may note.

PRAMILA
Devi w/o Sh. Bhuri Singh,
r/o Village Nihri, P.O. Dhartatoh,
Tehsil Sadar, District Bilaspur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Vinod Kumar s/o Sh. Gian Chand, r/o Village Jiana (Jol Lambri), P.O. Nalahi, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.) declare that 10th School Certificate of my son Akshit Dhiman, my name wrongly entered as Vinod Kuamr. Whereas my correct name is Vinod Kumar. Please note.

VINOD KUMAR
s/o Sh. Gian Chand,
r/o Village Jiana (Jol Lambri), P.O. Nalahi,
Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Geeta Devi Thakur w/o Sh. Naresh Bhattan, r/o Kuber Building Top Floor, Children Park Sanjauli, Shimla (H.P.) have changed my name from Gita Devi to Geeta Devi Thakur for all purposes in future. Please note.

GEETA DEVI THAKUR
w/o Sh. Naresh Bhattan,
r/o Kuber Building Top Floor,
Children Park Sanjauli, Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Ritik s/o Sh. Pritam Singh, r/o Village Thanari, P.O. Deori-Khaneti, Tehsil Kotkhai, District Shimla (H.P.)-171202 declare that my father's name is wrongly entered as Pritam Dass in my documents and also in my school records. My father's correct name is Pritam Singh. All concerned please may note.

RITIK
s/o Sh. Pritam Singh,
r/o Village Thanari, P.O. Deori-Khaneti,
Tehsil Kotkhai, District Shimla (H.P.).

